



न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल (म.प्र.)

पुनरीक्षण क्र. :- /2014

प्रस्तुत दि. :- 11/03/2014

R-929-PBR/14

पुनरीक्षणकर्ता :-

जफरअली आयु लगभग 50 वर्ष वल्द मुल्ला अहमद अली
सचिव शिया दाऊदी बोहरा जमात मुस्लिम ट्रस्ट (कब्रस्तान)
हरदा, तह. एवं जिला-हरदा

विरुद्ध

अनावेदक :-

श्रीमती रेखा कैथवास पत्नी कमल किशोर कैथवास पासी
निवासी के.के.आईल मिल लक्ष्मी हॉटल के पीछे,
सेन्ट मेरी स्कूल के पास हरदा, तह. एवं जिला-हरदा

पुनरीक्षण अं/धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी हरदा
द्वारा रा.प्र.क्र.120बी/121 वर्ष 2013-14 ग्राम कुलहरदा में पारित स्थगन
आदेश दि.7/02/2014 से असन्तुष्ट होकर यह पुनरीक्षण याचिका
निम्नलिखित तथ्य एवं आधारों पर पेश करता है :-

“तथ्य”



श्री बिजिना बच्चापक
अभिभाषक द्वारा
आज दिनांक 11/3/14
को भोपाल कैम्प पर
प्रस्तुत।

12-3-15

आवेदक अभिमाषक सचना उपरांत अनुपस्थित।
तीन वार पुकार लगवाई गई। प्रकरण आवेदक अभि-
माषक अनुपस्थिती में अदम पेरवी समाप्त किया जाता है।

अध्वरस

[क. प. उ.]